

मध्यप्रदेश विधान सभा

विधायक सभा के उपचार विभाग के लिए अधिकारी द्वारा तयार किया गया है। (८)

फरवरी - अप्रैल, 2002 सत्र लागताना प्रभुत्वात् उपचार विभाग के लिए अधिकारी द्वारा तयार किया गया है। (९)

कनिका विधायी सूची विधायक सभा के लिए अधिकारी द्वारा तयार किया गया है। (१०)

प्राप्ति किया गया शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2002 (वैत्र 15, 1924) (११)

समय 10.30 बजे दिन

प्राप्ति किया गया शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2002 (वैत्र 15, 1924) (१२)

१. प्रश्नोत्तर

पृथकता: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

प्रश्नोत्तर दिया जाने वाले विषयों के लिए उपर्युक्त विवरण दिया गया है। (१३)

२. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(१) श्री महेन्द्र बौद्ध, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का उच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे।

प्रश्नोत्तर दिया जाने वाले विषयों के लिए उपर्युक्त विवरण दिया गया है। (१४)

(२) श्री हुकम सिंह कराडा, ऊर्जा मंत्री -

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (३) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वितरण वर्ष 2001-2002; तथा

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 56 की उपधारा (३) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक म.प्र.वि.नि.आ.-2002-592, दिनांक 14 फरवरी, 2002, पटल पर रखेंगे।

प्रश्नोत्तर दिया जाने वाले विषयों के लिए उपर्युक्त विवरण दिया गया है। (१५)

(३) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री विधि और विधायी कार्य, मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XI का मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 10 के द्वारा उसमें निहित कुछ प्रविष्टियों का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए विलोपन और सुधार से संबंधित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 22-विधि. निर्वा-4-2002-63, दिनांक 14 फरवरी, 2002, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 282-म.प्र.-2001-परि. एवं संख्या 282-म.प्र.-2001-परि. (१), दिनांक 11 जनवरी, 2002, प्रकाशित किए गए हैं, पटल पर रखेंगे।

३. नियम 138 (१) के अधीन ध्यान आकर्षण

(१) सर्वश्री केवारनाथ शुक्ल, प्रभाकर सिंह, अहिरवार पर्वतलाल, सदस्य, डिप्डोरी जिले में आदिवासी वित्त विकास निगम के अधिकारियों द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर आदिव जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री जगदीश मुवेल, सदस्य, धार जिले के धरमपुरी वितरण केन्द्र द्वारा पिपलदागढ़ी उद्धवन सिंचाई योजना के विद्युत कनेक्शन कराए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(३) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, छिन्दवाड़ा नगर में व्यापारियों की दुकानें तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(४) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के सिरोज नगर में एक छात्र पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(५) सर्वश्री लालसिंह राणावत, अजय विठ्ठोई, नरेन्द्र विरधरे, सदस्य, उज्जैन जिले की नगर पंचायत, उन्हेल के अध्यक्ष द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(६) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, मुरैना जिले के जौरा के नायब तहसीलदार द्वारा की गई पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(७) डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य, उज्जैन जिले में राष्ट्रीय फसल बीमा की राशि किसानों को न दिये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगी।